



2026:AHC:37469

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4680 सन् 2026

जितेन्द्र चतुर्वेदी

....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : कृष्ण कांत दुबे, संतोष कुमार दुबे

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 5/तहसीलदार, तहसील सदर, जिला गाजियाबाद द्वारा जारी दिनांक 01.12.2025 के नोटिस को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका दायर की है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने 21.01.2026 को उपरोक्त नोटिस पर अपना जवाब पहले ही प्रस्तुत कर दिया है और काफी समय पहले ही बीत चुका है, लेकिन जब तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है और प्रतिवादी संख्या 3/जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद को उपरोक्त उत्तर/आपत्ति पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध नहीं किया जाता है।
4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3 इस मामले में तेजी से निर्णय लेगा।
5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका का निस्तारण प्रतिवादी संख्या 3/जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद को 31.01.2026 के उत्तर/आपत्ति पर शीघ्रता से निर्णय लेने का, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

फरवरी 19 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"